<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री बजरंगबली इण्डस्ट्रीज, सी-8, पनकी साइट-3, कानपुर ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**026 / 14, 22.04.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री नरेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री बजरंगबली इण्डस्ट्रीज, सी-8, पनकी साइट-3, कानपुर द्वारा दिनांक 22.04.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि ‘‘ ऐसे फुटवियर जिनका लोअर प्लास्टिक का है एवं अपर Cotton Coated Textile / Niwar से निर्मित है, ’’ पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर क्या होगी ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री नरेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-52 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Footwear with maximum retail price of rupees three hundred or less excluding plastic footwear; hawai chappal and straps thereof.

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-83 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Plastic footwear; hawai chappal and straps thereof.

यह भी कहा गया कि Central Excise Tariff एक्ट की हेडिंग 59.03 में कोटेड या प्लास्टिक लैमिनेटेड फैब्रिक को टैक्सटाइल माना गया है । यह भी कहा गया कि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-10 /13, 48 / 10 एवं 30 / 11 में पारित क्रमश: आदेश दिनांक 26.04.2013, 11.12.2012 एवं 28.05.2011 में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि किसी फुटवियर का सोल व अपर दोनों प्लास्टिक का हो तभी वह प्लास्टिक फुटवियर माना जायेगा । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-76 / 09, 30 / 10 तथा 309 / 08 में पारित क्रमश: आदेश दिनांक 08.06.2013, 31.05.2010 एवं 02.09.2008 का भी सन्दर्भ दिया गया जो मोल्डेड फुटवियर से सम्बन्धित है । उनके द्वारा कर्नाटक एवं बाम्बे हाई कोर्ट के निर्णयों को भी सन्दर्भित किया गया । उनके द्वारा यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में प्लास्टिक फुटवियर परिभाषित नहीं है । यदि काटन कोटेड फैब्रिक टैक्सटाइल के अन्तर्गत आता है और यदि अपर काटन कोटेड फैब्रिक का बना है तो वह प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में नही आना चाहिए । प्रार्थना-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेक्सीन व लेदर क्लाथ काटन कोटेड फैब्रिक ही है और इससे बने अपर होने पर फुटवियर को प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत नहीं माना जाना चाहिए । इस सन्दर्भ में FDDI एवं HBTİ द्वारा सैम्पल की जॉच कराकर प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें यह कहा गया कि पालिएस्टर या काटन कोटेड फैब्रिक जिसमें एक तरफ प्लास्टिक की कोटिंग हो वह टैक्सटाइल मैटेरियल के अन्तर्गत आता

....2

है। इन आधारों पर प्रार्थी द्वारा ऐसे फुटवियर जिनका अपर काटन कोटेड फैब्रिक से निर्मित हो उन्हें प्लास्टिक फुटवियर न मानने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा फुटवियर के सैम्पल भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-162, दिनांक 15.05.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी का कोई अस्थायी कर निर्धारण नहीं हुआ है और न ही कोई अभिग्रहण आदि है। अप्रैल, 2014 का रूपपत्र-24 भी दाखिल नहीं है। यह भी कहा गया कि माननीय सदस्य अधिकरण, आगरा की खण्ड पीठ द्वारा द्वितीय अपील संख्या-109 व 110 / 2012, कमिश्नर वाणिज्य कर बनाम लिबर्टी शू लि0 के वाद में सेन्ट्रल इक्साइज विभाग के सेक्शन-XII के चेप्टर-64 का उल्लेख करते हुए पी0 वी0 सी0 कोटेड फैब्रिक, पी0 यू0 कोटेड फैब्रिक / लैमिनेटेड लायलोन / सिन्थेटिक्स बेल्वेट / लायलोन फाइवर / प्लास्टिक लैमिनेटेड फैब्रिक व उनके पी0 यू0 / पी0 वी0 सी0 सोल को प्लास्टिक मोल्डेड फुटवियर मानते हुए निर्णय प्रतिपादित किया गया है और माननीय सदस्य अधिकरण, कानपुर की खण्ड पीठ द्वारा सर्वश्री विकास ट्रेडर्स के वाद में भी उपरोक्त फैसले का उल्लेख करते हुए अपर कोटेड फैब्रिक की होने के कारण करदेयता प्लास्टिक फुटवियर की भाँति 4% की दर से मानी गयी है। सर्वश्री विकास फुटवियर, कानपुर द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन दाखिल किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यापारी के पुनरीक्षण को अस्वीकार करते हुए माननीय सदस्य अधिकरण खण्ड पीठ के फैसले का आंशिक समर्थन किया गया है। प्लास्टिक फुटवियर की प्रकृति पर पिटीशन व्यापारी द्वारा Press न किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय निर्गत नहीं किया गया है।

आख्या में यह भी कहा गया है कि सर्वश्री कार्तिकिय इण्डस्ट्रीज, सी-33 / बी, पनकी साइड-1, कानपुर के धारा-59 के निर्णय दिनांक 26.04.2013 तथा सर्वश्री बजरंगबली इन्डस्ट्रीज, 18, गवर्मेन्ट इन्डस्ट्रीयल स्टेट, कालपी रोड, कानपुर के धारा-59 के निर्णय दिनांक 28.05.2011 में यह कहा गया है कि जिन फुटवियर का अपर कोटेड फैब्रिक टैक्सटाइल आदि का हो तथा लोअर प्लास्टिक का बना हो वह प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त धारा-59 के निर्णय सर्वश्री रूपानी प्रोडक्ट्स, 113 / 62, स्वरूप नगर, कानपुर, सर्वश्री वृन्दावन बिहारी रबर प्रोडेक्ट्स प्रा0 लि0, 45 / 33, न्यू चप्पल मार्केट, कानपुर तथा सर्वश्री स्वदेशी फुटवियर, 45 / 38, न्यू चप्पल मार्केट, मूलगंज, कानपुर के निर्णयों को भी सन्दर्भित किया गया है। समस्त निर्णयों को सन्दर्भित करते हुए यह कहा गया है कि ऐसे फुटवियर जो काटन कोटेड टैक्सटाइल / निवाड से बने हों एवं उनका मूल्य रु0 300/- से कम हो तो वह करमुक्त होंगे एवं रु0 300/- से अधिक मूल्य के फुटवियर 12.5% की दर से करयोग्य होंगे।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि सर्वश्री विकास ट्रेडर्स, कानपुर के वाद में अपील संख्या-96 / 2014 में माननीय अधिकरण की खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 15.03.2014 में यह उल्लेख किया है कि प्लास्टिक की परिभाषा सेन्ट्रल एक्साइज डिपार्टमेन्ट के सेक्शन-XII के चेप्टर-64 में दी गयी है जिसके अनुसार प्लास्टिक के अन्तर्गत वह फैब्रिक व टैक्सटाइल प्रोडक्ट भी आते हैं जिनकी बाहरी परत रबर या प्लास्टिक की

.......3

हो और जो naked eye से देखा जा सके और इसी आधार पर कोटेड फैब्रिक जिनकी बाहरी परत रबर या प्लास्टिक की बनी हुई होती है, से निर्मित फुटवियर को प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में माना गया है । इस निर्णय के विरूद्ध व्यापारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण भी दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्लास्टिक फुटवियर की प्रकृति पर निर्णय को Press न किये जाने के फलस्वरूप Open छोड़ते हुए अन्य बिन्दुओं का समर्थन किया गया है । जहाँ तक सर्वश्री कार्तिकिय इण्डस्ट्रीज, सी-33 / बी, पनकी साइड-1, कानपुर एवं सर्वश्री बजरंगबली इन्डस्ट्रीज, 18, गर्वमेन्ट इन्डस्ट्रीयल स्टेट, कालपी रोड, कानपुर के वाद में पारित धारा-59 के निर्णय का प्रश्न है, इन सभी निर्णयों में केवल यह कहा गया है कि यदि अपर प्लास्टिक के अतिरिक्त अन्य किसी मैटेरियल का है तभी वह वस्तु प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में नहीं आयेगी । अन्य सभी निर्णय मोल्डेड फुटवियर से सम्बन्धित हैं । इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-48 / 12 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2012 का भी सन्दर्भ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में दिया गया है । इस निर्णय में प्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया था कि पी0 वी0 सी0 रेक्सीन भी प्लास्टिक मैटेरियल है क्योंकि इसमें कपड़े के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेण्ट इंस्टीट्यूट द्वारा भी इस प्रकार के फुटवियर को प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में माना गया है ।

धारा-59 के अन्तर्गत सर्वश्री स्वदेशी फुटवियर, 45 / 38, न्यू चप्पल मार्केट, मूलगंज, कानपुर के वाद की सुनवाई के समय प्रार्थी द्वारा फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेण्ट इंस्टीट्यूट द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों को दाखिल किया गया था जिसमें FDDI द्वारा विभिन्न सैम्पल को देखकर यह प्रमाण-पत्र जारी किया गया है कि सेन्ट्रल इक्साइज के सेक्शन-XII के चेप्टर-64 note-3 के अनुसार ऐसे वुबन फैब्रिक जिनकी ऊपरी परत रबर या प्लास्टिक की हो तथा यह परत naked eye से दिखे उससे बनी चप्पल रबर या प्लास्टिक चप्पल में आयेंगे।

सर्वश्री स्वदेशी फुटवियर, 45 / 38, न्यू चप्पल मार्केट, मूलगंज, कानपुर के वाद में इन्हीं प्रमाण-पत्रों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 11.12.2012 को यह निर्णय दिया गया है कि ऐसे फुटवियर जिनमें अपर पी0 वी0 सी0 या रेक्सीन का बनता है वह प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में आयेंगे ।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा सेन्ट्रल इक्साइज की प्रविष्टि के आधार पर कोटेड फैब्रिक को टैक्सटाइल माना जा रहा है, किन्तु उनके द्वारा सेन्ट्रल इक्साइज डिपार्टमेन्ट द्वारा सेक्शन-XII के चेप्टर-64 में दी गयी फुटवियर के परिप्रेक्ष्य में इनके रबर एवं प्लास्टिक होने की परिभाषा का संज्ञान नहीं लिया गया है । पूर्व में सर्वश्री स्वदेशी फुटवियर, 45 / 38, न्यू चप्पल मार्केट, मूलगंज, कानपुर के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र को सुनवाई के समय दाखिल FDDI द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों में प्लास्टिक फुटवियर के सन्दर्भ में कोटेड फैब्रिक से निर्मित फुटवियर के सैम्पल की जॉच के उपरान्त कोटेड फैब्रिक से निर्मित फुटवियर को प्लास्टिक फुटवियर प्रमाणित किया गया है ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत FDDI के प्रमाण-पत्र दिनांक 17.04.2014 के सम्बन्ध में इस प्रमाण-पत्र में प्रस्तुत किये गये सैम्पल को cotton coated fabric का एक प्रकार मानते हुए इसे textile material होने का उल्लेख

....4

किया गया है । परन्तु यह प्रमाण-पत्र प्रश्नगत प्रकरण के अन्तर्निहित बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता नहीं रखता क्योंकि इस प्रकरण में ऐसे फुटवियर की करदेयता का विचारण होना है, जिसका अपर प्लास्टिक कोटेड मैटेरियल से निर्मित हो और यह उल्लेखनीय है कि इसके सम्बन्ध में FDDI द्वारा एक सुविचारित प्रमाण-पत्र पूर्व में ही दिनांक 17.11.2009 को जारी किया गया है ।

अत: उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य अधिकरण, आगरा की अपील संख्या-109/ 110 / 2012 तथा माननीय सदस्य अधिकरण, कानपुर द्वारा अपील संख्या-96 / 2014 सर्वश्री विकास ट्रेडर्स के वाद में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2014 तथा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-48 / 12 सर्वश्री स्वदेशी फुटवियर, 45 / 38, न्यू चप्पल मार्केट, मूलगंज, कानपुर के वाद में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2012 तथा सेन्ट्रल इक्साइज के सेक्शन-XII के चेप्टर-64 में दी गयी रबर एवं प्लास्टिक की परिभाषा के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि ऐसे कोटेड फैब्रिक जिनकी ऊपरी परत रबर या प्लास्टिक की हो तथा naked eye से वह रबर या प्लास्टिक दिखता हो, रबर या प्लास्टिक की श्रेणी में आयेगा और यदि अपर ऐसे मैटेरियल से निर्मित है और सोल प्लास्टिक का है तो ऐसे फुटवियर प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में माने जाने चाहिए और इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-83 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी । यदि अपर किसी अन्य मैटेरियल से निर्मित हैं तो रु0 300/- से कम मूल्य के होने पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-52 के अन्तर्गत करमुक्त होंगे अन्यथा 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया एवं प्रस्तुत सैम्पल का अवलोकन किया गया । पाया गया कि प्रस्तुत सैम्पल जो मेरे समक्ष प्रस्तुत किय गये थे उनमें ऊपरी परत प्लास्टिक की थी और यह प्लास्टिक naked eye से दृष्टिगत था । सेन्ट्रल इक्साइज डिपार्टमेन्ट के सेक्शन-XII के चेप्टर-64 के क्रमांक-3 में प्लास्टिक फुटवियर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख है :-

For the purposes of this Chapter:

(a) the terms '' rubber '' and '' plastics '' include woven fabrics or other textile products with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour; and

उक्त चेप्टर फुटवियर से सम्बन्धित है । इस परिभाषा पर विचार करते हुए सर्वश्री स्वदेशी फुटवियर, 45 / 38, न्यू चप्पल मार्केट, मूलगंज, कानपुर के मामले में FDDI ने निम्न प्रमाण-पत्र दिनांक 17.11.2009 को दिया है :-

It is clarified in the section 12 Chapter 64 note no. 3 of Brief Tariff Notes (BTN), the terms '' rubber & plastics '' include woven fabrics or other textile fabrics with an external layer of rubber or plastics being visible to the necked eye. Therefore, the uppers of the aforesaid footwears are plastics.

......5

Hence, the aforesaid footwears have been identified as plastic footwear. These are covered under the Central Excise 8 Digit Tariff 6402.19.90. The VAT will be 4%. The samples duly signed & stamped are enclosed for reference.

माननीय सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, कानपुर ने अपील संख्या-96 / 2014 सर्वश्री विकास ट्रेडर्स के वाद में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2014 में उक्त परिभाषा एवं FDDI के प्रमाण-पत्र पर विचार करते हुए निम्न निर्णय दिया है :-

It was argued by the learned counsel for the assessee that the word Plastic has not been defined under U.P. Value Added Tax Act but the said word ' Plastic ' has been defined in Chapter 64 of Section XII of Central Excise Department and an inclusive definition has been given to the concept, '' Rubber & Plastic '', and it has been provided to include woven fabric or other textile products with an external layer of Rubber or Plastic being visible to the naked eye and in this respect, the learned counsel for the assessee has referred that Footwear Design & Development Institute, Ministry of Commerce, Govt. of India issued certficates to the assessee that the Footwears, the uppers of which have been made of P.V.C. Coated Fabric / P.U. Coated Fabric / Laminated Nylon / Synthetic Velvet / Nylon Fabric / Polyster Laminated Fabric and their soles as of P.U. / P.V.C. then such footwear of moulded plastic is covered with notification no. Ka.Ni.-1205 / XI dated 17.04.2008. In view of these arguments it was held by the Hon'ble Tribunal that the goods in question were Plastic Footwear. In the present controversy we have seen the samples presented before us and soles are of P.V.C. and their uppers & straps are made of coated fabrics whose external layer appears to be of rubber and plastic and as such the goods in question are covered under entry 83 of Schedule-2 Part-A of the Act which are taxable @ 4%. As goods are taxable goods, hence, import of goods without Form-38 is violation of provisions of Section 50. So, seizure of goods is justified and deserves to be confirmed.

माननीय अधिकरण के उक्त निर्णय के विरूद्ध व्यापारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण संख्या-310 / 2014 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.04.2014 में निम्न व्यवस्था दी गयी:-

From the judgment dated 26.12.2013 passed in appeal No. 522 of 2013 in the case of M/s Sahaj Traders Vs. Commissioner Commercial Taxes, I find that there Tribunal found that lower of was made of plastic and upper was made of fabricated niwad and therefore it was not a plastic footwear but in the present case Tribunal has found that besides the fact that lower was made of Plastic, upper consisted of a coated fabrics, of which external layer was of rubber and plastic, both. It is in these circumstances, having found lower made of plastic and upper made of rubber and plastic both, the

....6

Tribunal in the present case has taken a different view that goods in question are liable to be treated as ' Plastic footwear. '

Sri Bharat Ji Agarwal, learned counsel for the revisionist however submitted that this Court may not determine this issue at this stage whether goods in question, constitute a '' plastic footwear '' or not, since that issue may be left to be decided finally in regular proceedings, hence, since he has not pressed this question, I am not proceeding further to consider on this aspect.

उपर्युक्त तथ्यों तथा विधिक स्थिति के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में ऐसे फुटवियर जिनका लोअर प्लास्टिक का है तथा अपर Cotton Coated Fabric का है उनका लोअर अविवादित रूप से प्लास्टिक का है तथा उनके अपर में Impragnated Plastic को naked eye से देखा जा सकता है और ऐसी स्थिति में Central Excise Tarrif के Section-XII Chapter-64 के पैरा 3 (a), FDDI द्वारा प्लास्टिक फुटवियर के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र दिनांक 17.11.2009 तथा इनको विचारित करते हुए माननीय सदस्य अधिकरण के निर्णय दिनांक 15.03.2014 एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2014 के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त ऐसे फुटवियर का प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में ही समाहित होना स्पष्ट होता है। तदनुसार ऐसे फुटवियर पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-83 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 13 जून, 2014

ह0 / 13.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।